



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹2,03,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०- 567/2016 धारा- 147,148,307,149,120(बी), 302 भा०द०सं० व 3(2)5 एससी/एसटी भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.करन सिंह पुत्र हरिचरन सिंह व 2.महेश कुमार पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम अकौना थाना राठ जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹2,03,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ विवेकानन्द
तिवारी



पैरोकार- थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव